न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 662 / 2022

अनवान : –

1. दलिप पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. श्रीचन्द पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. राकेश पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
3. पूर्णराम बिजारणियां पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्री श्रीचन्द जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री मांगेराम बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 17/12/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 259 / 258 के खसरा न0 294, 363 की 9.1040है0 भूमि में से 2 / 9 हिस्सा व इसी तरह रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 259 / 263 के ख0न0 12, 207, 219 की कुल 14.7330है0 भूमि में 1 / 4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 4 ने वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के पक्ष में अपने हक व हिस्सा का परित्याग कर दिया है। वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:40 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण का कोई एतराज ने वाद के समर्थन में जमाबंदी सम्वत

2071–2074 ललानाबास उतरादा खाता स0 259/258 ईएक्सपी–1, जमाबंदी सम्वत 2071–2074 ललानाबास दिखनादा खाता स0 259/263 ईएक्सपी–2, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029–2038 रोही मौजा ललानाबास उतरादा खाता स0 186 ईएक्सपी–3, मिसल बन्दोबस्त रोही मौजा ललानाबास दिखनादा खाता स0 186 ईएक्सपी–4, मिसल बन्दोबस्त रोही मौजा ललानाबास दिखनादा खाता स0 203 ईएक्सपी–5 आदि पेश किये। वादी नप्रतिवादी सं0 5 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 4 जो की वादी की बहिन है, के द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 259/258 के खसरा न0 294, 363 की 9.1040है0 भूमि में से 2/9 हिस्सा व इसी तरह रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 259/263 के ख0न0 12, 207, 219 की कुल 14.7330है0 भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी 2 जो की वादीगण के बहन है के द्वारा भी अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के [illegible]ताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रो[illegible] उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 259/258 के खसरा न0 294, 363 की कुल 9.10[illegible]0 भूमि में से 2/9 हिस्सा व इसी तरह रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 259/263 के ख0न0 12, 207,

219 की कुल 14.7330है0 भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 की बजाय वादी स0 1, प्रतिवादी स0 1, प्रतिवादी स0 2 तथा प्रतिवादी 'स0 3 को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 17/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:40 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 662/2022

अनवान : –

1. दलिप पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. श्रीचन्द पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. राकेश पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
3. पूर्णाराम बिजारणियां पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्री श्रीचन्द जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदनमोहन जोशी व वकील प्रतिवादी श्री मांगेराम बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 259/258 के खसरा न0 294, 363 की कुल 9.1040है0 भूमि में से 2/9 हिस्सा व इसी तरह रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 259/263 के ख0न0 12, 207, 219 की कुल 14.7330है0 भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 की बजाय वादी स0 1, प्रतिवादी स0 1, प्रतिवादी स0 2 तथा प्रतिवादी स0 3 को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 17/2/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:40 IST
Reason: SelfAttested